

## प्रेस नोट दिनांक-21.09.2020

- (1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये गये विशेष अभियान में समस्त थाना क्षेत्रों में कई स्थानों पर छापेमारी की गयी जिसमें लगभग 210 किलो लहन महुआ बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया तथा 10 अभियुक्तों को 67 क्वार्टर देशी शराब व 59 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (1). प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशील चन्द्र शर्मा व थाना रैपुरा की टीम तथा आबकारी निरीक्षक श्रीमती अपर्णा द्विवेदी व उनकी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम इटावा में छापेमारी कर मौके से लगभग 120 किलो लहन महुआ बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया।
  - (2). उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम रामपुर से अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र हीरालाल निवासी रामपुर को 15 लीटर कच्ची शराब, 60 किलो लहन महुआ व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (3). उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम सरहट से अभियुक्त रणधीर पुत्र जगन्नाथ व कमली पत्नी रामस्वरूप निवासीगण सरहट थाना मानिकपुर को 10 लीटर कच्ची शराब, 30 किलो लहन महुआ व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (4). श्री अनिल कुमास साहू चौकी प्रभारी सरैया तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सुलेमान कोल पुत्र मोतीलाल निवासी विनय नगर काली घाटी थाना मानिकपुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (5). श्री अजीत कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मिथलेश कुमार पुत्र सुन्दरलाल निवासी तरांव थाना भरतकूप को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (6). उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त गुल्जार सिंह पुत्र कटैया डांडी थाना बरगढ़ चित्रकूट को 35 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (7). उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामजीत पटेल पुत्र हेमराज निवासी बड़ी मडैयन थाना बहिलपुरवा तथा अभियुक्त नत्थूराम पुत्र कल्लूराम निवासी घाटाकोलान थाना बहिलपुरवा को 05-05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (8). उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सिद्धनारायण पाण्डेय निवासी देवल थाना पहाड़ी को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (9). उ0नि0 श्री रामराज थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रजौली रैदास पुत्र कल्लू निवासी खरहा हरदुआ थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
  - (10). उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खां थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त बनवारी कोल पुत्र परसन कोल निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 04 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
- (2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह द्वारा अभियुक्त अस्तफा हुसैन पुत्र बवाली हुसैन निवासी भरतपुरी थाना कोतवालीक कर्वी तथा अभियुक्त भोले उर्फ अरविंद पटेल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ठर्री भगनपुर थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यावाही की गयी। इन अभियुक्तों द्वारा भोली-भाली जनता से मारपीट व गाली गलौज करते हैं तथा लड़कियों से छेड़खानी की जाती थी।
- (3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10, मफरूर, इनामिया, हिस्ट्रीसीटर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेश क्लीन के क्रम में श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में

वरि030नि0 श्री अशोक कुमार निगम तथा उनकी टीम द्वारा टॉप-10 अपराधी केड़ा उर्फ अभय उर्फ रोनी उर्फ धोनी उर्फ लखन पुत्र सगुनिया कंजड़ निवासी पटेल नगर कस्बा व थाना मानिकपुर चित्रकूट को एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर व फर्जी नाम पते की 04 आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, इसके द्वारा 30प्र0 के अलावा कई प्रदेशों में लूट/चोरी जैसी घटनाएँ कारित की गयी हैं। अभियुक्त विभिन्न स्थानों पर अपना नाम बदलकर रहता था तथा घटना कारित करने के उपरान्त स्थान बदल देता था। जनपद वाराणसी के थाना कैट व रोहनिया तथा जनपद प्रयागराज के थाना बारा में इसके विरुद्ध गलत नाम व पते से मुकदमें पंजीकृत हैं। बरामदशुदा 04 फर्जी आईडी में अभियुक्त के नाम पते गलत हैं। अपराध करने के उपरान्त पकड़े जाने पर गलत आई व पते का उपयोग करता था ताकि जमानत पर छूटने के उपरान्त माननीय न्यायालय में हाजिर न होना पड़े व सजा से बच जाये। फर्जी व कूटरचित आईडी तथा शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 122/2020 में धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 व 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- (1). मु0अ0सं0 392/15 धारा 395/412 भादवि0 थाना कैट जनपद वाराणसी
- (2). मु0अ0सं0 293/15 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
- (3). मु0अ0सं0 97/19 धारा 459/411 भादवि0 थाना बारा जनपद प्रयागराज
- (4). मु0अ0सं0 310/19 धारा 395/412 भादवि0 थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
- (5). मु0अ0सं0 122/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

#### बरामदगी:-

01 अदद तमंचा 12 बोर

02 अदद कारतूस 12 बोर

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. 30नि0 श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैया
3. 30नि0 श्री सुरेश कुमार यादव
4. मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह
5. आरक्षी विकास सिंह
6. आरक्षी शिवपाल सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. ब्रजेश कुमार शुक्ला पुत्र रामभवन निवासी भटरी थाना राजापुर चित्रकूट 2. श्रवण कुमार गर्ग पुत्र रामप्रसाद निवासी कस्बा व थाना राजापुर को 5 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 123/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

#### बरामदगी:-

05 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी
2. वरि030नि0 श्री टीकाराम वर्मा
3. 30नि0 संदीप कुमार सिंह

4. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
5. आरक्षी दिनेश
6. आरक्षी प्रमोद कुमार
7. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय